

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत डा0 अमिताभ घोष, संयुक्त निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकार के रूप में पदाविहित किया
गया है।

2. यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।
3. अपीलीय प्राधिकार के रूप में पदाविहित पदाधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के अन्तर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।
4. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
5. पूर्व निर्गत विभागीय आदेश 1336 दिनांक - 01.06.12 को इस रूप में संशोधित
समझा जाये।

ह0/-
उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक - वि0 प्रा0 (1) व² - 152/05पटना, दिनांक -
पदाविधि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/महानिदेशक विपार्ड,
वाल्मी, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक - वि0 प्रा0 (1) व² - 152/05पटना, दिनांक - 17-12-12
पदाविधि - डा0 अमिताभ घोष, संयुक्त निदेशक (वि0), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना,
परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्सद, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी/सभी सहायक
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव, 14/12
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

14/12